



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072026-274694
CG-DL-E-23072026-274694

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3800]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948

No. 3800]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2026

का.आ. 3969(अ).— केंद्रीय सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 के खंड (घ) और खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के संस्थान निकायों के सदस्य के रूप में नामित करती है:

क्रमांक	संस्थान का नाम	धारा 4 का खंड	नामांकित सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	एम्स अवन्तीपोरा	धारा 4(ङ)	1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति
		धारा 4(ङ)	2. मुख्य सचिव, जम्मू और कश्मीर सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति

		धारा 4(घ)	3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में)
2.	एम्स बठिंडा	धारा 4(ड)	1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति
		धारा 4(ड)	2. मुख्य सचिव, पंजाब सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति
		धारा 4(घ)	3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में)
3.	एम्स भोपाल	धारा 4(ड)	1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति
		धारा 4(ड)	2. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति
		धारा 4(घ)	3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में)
4.	एम्स जोधपुर	धारा 4(ड)	1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति
		धारा 4(ड)	2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति
		धारा 4(घ)	3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में)
5.	एम्स मदुरै	धारा 4(ड)	1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति
		धारा 4(ड)	2. मुख्य सचिव, तमिलनाडु सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति
		धारा 4(घ)	3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में)
6.	एम्स राजकोट	धारा 4(ड)	1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत

			सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति
		धारा 4(ड)	2. मुख्य सचिव, गुजरात सरकार या उनका/उनकी नामित व्यक्ति
		धारा 4(घ)	3. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में)

सदस्यों का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (यथा संशोधित) की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28015/67/2026-पीएमएसएसवाई-IV(8414064)]

विजय नेहरा, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th July, 2026

S.O. 3969(E).— In exercise of the powers conferred by Clause (d) and Clause (e) of Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates the following persons as members of the Institute Bodies of All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) specified in column (2) of the table below:

Sl. No.	Name of the Institute	Clause of Section 4	Nominated Member
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	AIIMS Awantipora	Section 4(e)	1. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India or his/her nominee
		Section 4(e)	2. Chief Secretary, Government of Jammu & Kashmir or his/her nominee
		Section 4(d)	3. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India (as Representative of Ministry of Finance)
2.	AIIMS Bathinda	Section 4(e)	1. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India or his/her nominee
		Section 4(e)	2. Chief Secretary, Government of Punjab or his/her nominee
		Section 4(d)	3. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India (as Representative of Ministry of Finance)
3.	AIIMS Bhopal	Section 4(e)	1. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare,

			Government of India or his/her nominee
		Section 4(e)	2. Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh or his/her nominee
		Section 4(d)	3. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India (as Representative of Ministry of Finance)
4.	AIIMS Jodhpur	Section 4(e)	1. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India or his/her nominee
		Section 4(e)	2. Chief Secretary, Government of Rajasthan or his/her nominee
		Section 4(d)	3. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India (as Representative of Ministry of Finance)
5.	AIIMS Madurai	Section 4(e)	1. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India or his/her nominee
		Section 4(e)	2. Chief Secretary, Government of Tamil Nadu or his/her nominee
		Section 4(d)	3. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India (as Representative of Ministry of Finance)
6.	AIIMS Rajkot	Section 4(e)	1. Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India or his/her nominee
		Section 4(e)	2. Chief Secretary, Government of Gujarat or his/her nominee
		Section 4(d)	3. Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India (as Representative of Ministry of Finance)

The term of office of the members shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (as amended).

[F. No. Z-28015/67/2026-PMSSY-IV(8414064)]

VIJAY NEHRA, Addl. Secy.